न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या	रजि0 नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/07/2024	2024/31	28.003.2024	30.05.2024

01—बशीर पुत्र अमीर, जाति मेव निवासी ग्राम ठेगी का बास तहसील रामगढ जिला अलवर ।

—: अपीलाण्ट

बनाम

01—राजस्थान सरकार जरिये लौण्ड होल्डर तहसीलदार (भू0अ0) रामगढ जिला अलवर।
02—घीसा पुत्र खैराती, जाति मेव, निवासी ग्राम ठेगी का बास, तहसील रामगढ जिला अलवर।

—: रेस्पौडेन्ट

अपील विरूद्ध आज्ञा आदेश क्रमांक भू0अ0/2024/1068 दिनांक 07.03.2024 तहसीलदार रामगढ जिला अलवर

उपस्थितः—
01—श्री जगदीश चन्द्र सतीजा। —वकील अपीलाण्ट

निर्णय

अपीलान्ट ने यह अपील तहत अदालत तहसीलदार रामगढ के आदेश दिनांक 07.03.2024 प्रकरण संख्या 2024/1068 जिसके आराजी खसरा नम्बर 499 रकबा 0.31 है0 0.40 वाके ग्राम—ठेगी का बास का सीमाज्ञान किये जाने हेतु, न्यायालय में प्रस्तुत की गई। अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पौ0 को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ अदालत का रिकार्ड तलब किया गया।

विद्वान वकील अपीलांट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया है कि आराजी खसरा नम्बर 497 रकबा 0.38 है0 वाके ग्राम ठेगी का बास, तहसील रामगढ, जिला अलवर (राज) का काबिज खातेदार काश्तकार है। जिसमें अपीलान्ट के रिहायशी मकान को पुख्ता गोदाम अर्सा करीब 20—25 से पूर्व बनाये हुये है। ही बनाये हुए है खसरा नम्बर 497 जो के तरफ पूर्व की ओर खसरा नम्बर 499 है जो पहाड की तरफ है आलोच्य आदेश की अनुपालना मे जो नक्शा बनाया गया उसको सुपर ईम्पोज करते हुए खसरा नम्बर 499 है जो नक्शा बनाया गया उसको सुपर ईमपोज करते हुऐ खसरा नम्बर 499 की सीमा को सीमाज्ञान के द्वारा 497 को होना बताया गया है। चूंकि खसरा नम्बर 497 अपीलान्ट की खातेदारी का है। और मिन अपीलान्ट के सुनवाई का मौका दिये बिना अपीलान्ट की खातेदारी को बेजा तरीके पर समीज्ञान करते हुऐ आलोच्य आदेश पारित किया गया है। अपीलान्ट के हकूक प्रभावित होते है। जिस कारण से अपीलान्ट की ओर से अपील पेश की जा रही है। तथा अन्तर्गत धारा 96 सी.पी.सी. का आवेदन पत्र अलग से प्रस्तुत किया जा रहा है। आराजी खसरा नम्बर 497 पुख्ता चार दीवारी से महफूज है और उसके तरफ पूर्व की ओर रेस्पोडेंट संख्या 02 अपनी आराजी पर काबिज है किसी भी प्रकार से सीमा विवाद या सीमाज्ञान कराये जाने का विवाद ही नही है। इसके बावजूद आलोच्य आदेश पारित किया गया है। जो काबिल मंसुख है। किसी भी प्रकार से सीमा विवाद या सीमाज्ञान कराये जाने का विवाद ही नही है। इसके बावजूद आलोच्य आदेश पारित गया है।अपीलान्ट अपीन खातेदारी की आराजी

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

पर शान्तिपूर्वक काबिज दाखिल चला आ रहा है। तथा रेस्पोडेण्ड संख्या 02 अपनी आराजी का काबिज दाखिल है। आराजी खसरा नम्बर 497 मौके पर सडक से लगती हुई होने के कारण कीमती जायदाद है जिस कारण से रेस्पोडेन्ट संख्या 02 के दिल में लालच पैदा हो गया है। और बराय बदयान्ती अपीलान्ट की खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 497 पर काबिल होना चाहत हे। जिस पर मिन अपीलान्ट द्वारा सक्षम न्यायालय एस.डी.ओ. रामगढ के यहां रेस्पोंडेट संख्या 02 व उनके परिवारजन के विरूद्व मजाहमल ना करने हेतु स्थगन आदेश जारी किया हुआ है। जो स्थगन आदेश की रेस्पोडेन्ट संख्या 02 उसके परिवारजन को जानकारी है जो प्रकरण दिनांक 01.01.2021 से जेर तजबीज है व आगामी पेश 24.05.2024 नियत है।रेस्पोडेन्ट संख्या 02 यह जानते हुए कि खसरा नम्बर 497 का सक्षम न्यायालय में विवाद लम्वित है तथा स्वयं घीसा रेस्पोडेन्ट संख्या 02 द्वारा भी आराजी खसरा नम्बर 499 के सम्बध में वापसी कब्जे का वाद अन्तर्गत धारा 183 काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत सन् 2020 से किया हुआ है। जो आज भी विचाराधीन है अर्थात खसरा नम्बर 497, 499 वाके ग्राम ठेगी का बास, तहसील रामगढ जिला अलवर दोनों ही आराजी विवादित चली आ रही है। रेस्पोडेन्ट संख्या 02 द्वारा उपरोक्त तथ्यों की जानकारी के बावजूद भी आराजी खसरा नम्बर 499 की सीमाज्ञान हेतु आवेदन पत्र गलत तथ्यों एवं वाकेयात के आधार पर प्रस्तुत कर मनमाने मिथ्या वाकेयात के आधार पर बिना मिन अपीलान्ट को सुने व जानकारी के एकपक्षीय तरीके पर सीमाज्ञान की कार्यवाही किये जाने हेतु रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के यहां आवेदन करते हुए सीमाज्ञान के आदेश दिनांक 07.03.2024 को पारित किये और उक्त आदेश की अनुपालना में दिनांक 19.03.2024 को सीमाज्ञान की पालना की जाकर मौका रिपोर्ट तैयार की गई जो आदेश खिलाफ कानून व मौके के विपरीत होने के कारण निम्न आधारों पर निरस्त होने योग्य है। कानून सीमाज्ञान/पैमाईश/पत्थरगढी के आदेश तभी पारित किये जा सकते है। जब आराजी विवाद रहित हे यहां खसरा नम्बर 497 व 499 दोनों ही आराजी सन् 2020 से आज तक विवादग्रस्त चली आ रही है। और उक्त आराजी पर स्थगन आदेश भी सक्षम न्यायालय द्वारा जारी है किन्तु रेस्पोडेन्ट संख्या 02 ने उक्त तथ्यों को छुपाया है और उसके बावजूद आलोच्य आदेश पारित किये गये जो आज्ञा इसी आधार पर मसुख किये जाने योग्य है। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा भी आलोच्य आदेश जारी करने से पूर्व राजस्व अभिलेख का अवलोकन नही किया अन्यथा राजस्व अभिलेख मे सक्षम न्यायालय के स्थगन आदेश के नोट लगे हे। उसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कानूनी नियमों की अनदेखी करते हुए आदेश पारित किये योग्य है। अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट अपीन–अपनी खातेदारी की आराजी पर काबिज है और उपयोग व उपभोग कर रहे है। किसी प्रकार का कोई विवाद नही था। किन्तु रेस्पोडेन्ट संख्या 02 ने रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से साज बाज होकर बेजा तरीके पर साठ गांठ करते हुए आलोच्य आदेश जारी किये है। अपीलान्ट आराजी खसरा नम्बर 479 पर काबिज कातश्कार खातेदार है और आलोच्य आदेश के आधार पर रेस्पोंडेन्ट संख्या 02 जिसे राजनैतिक संरक्षण प्राप्त है। तथा धन–बल से बाहुबली है, मिन अपीलान्ट को आलोच्य आदेश के आधार पर जबरन बेदखल करना चाहता है। आलोच्य आदेश की अनुपालना में जो मौका रिपोर्ट तैयार की जाकर नक्शा इम्पोज किया गया है। उसमें पूर्व स्थित पुख्ता गैर मुमकिन सडक खसरा नम्बर 496 को अपीलान्ट की खातेदारी खसरा 497 मे दर्शित किया गया है। जबकि यह असम्भ है कि पूर्व जारीशुदा सडक को अन्यत्र प्रदर्शित किया जाना कानूनी रूप से सम्भव नही है। इस कारण से आलोच्य आदेश की पालना में जो नक्शा सुपर इम्पोज किया गया है। वह भी निरस्त होने योग्य है अर्थात दिनांक 07.03.2024 तथा उसकी अनुपालना में मौका रिपोर्ट व नक्शा दिनांक 19.03.2024 निरस्त होने योग्य है। रेस्पोडेन्ट संख्या 02 अपनी कब्जेकाश्त खातेदारी के सम्पूर्ण रकबे पर काबिज दाखिल चला आ रहा है। इसलिए आलोच्य आदेश निरस्त फरमाये जाने योग्य है। दिनांक 26.07.2023 को पक्षकारान के मध्य आपसी राजीनामा भी हो गया उसके बावजूद भी रेस्पोडेन्ट संख्या 02 ने रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से साज बाज होकर आलोच्य आदेश पारित कराया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के आदेश दिनांक 07.03.2024 को निरस्त फरमाया जावे व इस आदेश की पालना में दिनांक 19.03.2024 को मौका पर्चा रिपोर्ट तैयार की व उसके मुताबिक हाल नक्शा ट्रेस सुपर इन्पोज किया गया। वो भी काबिल निरस्त होन योग्य है

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा अपने पत्र क्रमांक भू0अ0/2024/1068 दिनांक 07.03.2024 से कार्यालय आदेश जारी कर सीमाज्ञान हेतु टीम का गठन किया गया है। जो एक प्राशासनिक कार्यालय आदेश है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किसी प्रकार का कोई अंतिम निर्णय पारित नही किया गया है। अपील अपीलान्ट पोषणीय नही होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है। निर्णय प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनके रिकार्ड के साथ पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 30.05.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज0)

(वीरेन्द्र कुमार वर्मा)
अति0 जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर, (राज0)